



# कार्यालय सेवा प्रबन्धक, उ०प्र०परिवहन निगम, बरेली।



पत्रांक :- बी०आर०/एस०एम०/कार्यशाला प्रांगण सफाई/2019-1962 दिनांक :- 04/12/2019

## —: कार्यालय आदेश:—

बरेली क्षेत्र के डिपो कार्यशाला बदायूँ के प्रांगण तथा उनके अंतर्गत आने वाले शौचालय/मूत्रालय की सफाई हेतु प्रस्ताव फार्म दिनांक 05.12.19 से 19.12.19 तक (रु० 200+36=236 जीएसटी सहित) में सेवा प्रबन्धक कार्यालय बरेली से प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त प्रस्ताव सेवा प्रबन्धक कार्यालय बरेली में रखे गये बाक्स में प्रस्ताव दिनांक 20.12.19 को समय 12.00 बजे से 14.00 बजे तक डाले जा सकेंगे जिसे उसी दिन प्रस्तावदाताओं के समक्ष अर्थात् 20.12.19 को 15.00 बजे खोला जायेगा। जिसमें प्रस्तावदाता की उपस्थिति अनिवार्य है। निम्नलिखित अभिलेख प्रस्ताव के साथ संलग्न कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जायेगे।

- 1- पैन कार्ड की छायाप्रति।
- 2- आधार कार्ड की छायाप्रति।
- 3- व्यक्ति/फर्म के बैंक अकाउन्ट की पास बुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति।
- 4- पूर्व कार्य अनुभव के प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

## नियम व शर्तों

- 1 बदायूँ डिपो कार्यशाला हेतु निगम मुख्यालय द्वारा निर्धारित दरों पर परिसर/भवन के क्षेत्रफल के अनुसार निम्नवत् धनराशि का भुगतान किया जायेगा:-

क्र० सं०	कार्यशाला का नाम	क्षेत्रफल(वर्ग मीटर में)	धनराशि(समस्त कर सहित)
1	डिपो कार्यशाला बदायूँ	4772.55	6586.00

- 2 अनुबन्ध की दरों के लिये टैण्डर आमंत्रित नहीं है बल्कि उपरोक्तानुसार परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ द्वारा निर्धारित दरों पर भुगतान किया जायेगा।
- 3 उक्त निविदा ठेकेदारों के चयन के लिये आमंत्रित की जा रही है जिसके लिये निम्नवत् मानक की आर्हता रखने वाले ठेकेदारों में समिति द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अनुभवी ठेकेदारों का चयन कर उपरोक्त निर्धारित दरों पर कार्य करने के लिये आमंत्रित किया जाता है जिसमें उत्कृष्ट गुणवत्ता के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।
- 4 कार्यशाला परिसर/शौचालय/मूत्रालय की सफाई-धुलाई से संयंत्रों/सामग्री की व्यवस्था टैण्डरदाता करेगे एवं साथ ही परिसर की धास एवं दिये गये अन्य कार्य किये जाने हैं।
- 5 टायलेट/यूरिनल की सफाई हेतु आवश्यक केमिकल की व्यवस्था टैण्डरदाता करेगे।
- 6 कार्यशाला में कार्यालय भवन एवं नालियों की नियमित सफाई एवं कार्यशाला में कार्यालय भवन में लगे जालों की नियमित सफाई और उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त सफाई एवं राष्ट्रीय पर्व पर चूना आदि डालने का कार्य।
- 7 कूड़े का निस्तारण टैण्डरदाता द्वारा अपने व्यय पर किया जायेगा।
- 8 सफाई-धुलाई हेतु लगाय गये कार्मिकों की संख्या अंकित करनी होगी।
- 9 गुणवत्तापरक एवं अनुभवी निविदादाता सफाई-धुलाई को वरीयता दी जायेगी।
- 10 जी०एस०टी०,अन्य कर एवं समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा लागू कर निविदादाता को वहन करने होंगे।
- 11 सफाई में प्रयुक्त सामग्री का वहन निविदादाता को करना होगा।
- 12 सफाई-धुलाई का ठेका दो वर्ष की अवधि हेतु दिया जायेगा। ठेको को किसी भी समय बिना कारण एवं कार्य में गुणवत्ता ठीक न होने पर पेनाल्टी लगाने तथा ठेका समाप्त करने का अधिकार सेवा प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक, बरेली में निहित होगा। प्रतिभूति धनराशि के रूप में रु० 10,000/- का डिमांड ड्राफ्ट सेवा प्रबन्धक, बरेली के नाम से होगा।
- 13 उत्तर प्रदेश शासन एवं परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ द्वारा निर्धारित नियमों में समय-समय पर परिवर्तन होने पर वह सम्बन्धित फर्म पर भी लागू होगा।

## ढेकेदारो के चयन हेतु निर्धारित मानक

ढेकेदार निम्नलिखित उपकरणो के माध्यम से कार्यशाला यार्ड की सफाई करा सकता है:-

- (क) कार्यालय आदि की वैक्यूम-क्लीनर से सफाई
- (ख) अन्य सफाई से सम्बन्धित संयंत्रो की उपलब्धता।

ढेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में उपरोक्त उपकरणो की उपलब्धता अथवा कार्य करने की क्षमता का परीक्षण निम्नवत् किया जाये:-

- (1) किसी बड़े संस्थान, जहाँ जन-सामान्य का आवागमन अधिक होता हो, में सफाई का अनुभव।
- (2) टायलेट, यूरिनल पर जहाँ आवश्यक हो उपयुक्त कौमिकल के माध्यम से करा सकने की क्षमता।
- (3) वित्तीय क्षमता
- (4) भूतपूर्व सैनिक संगठन को वरीयता
- (5) लगाये जाने वाले कार्मिको की संख्या

4- कार्य आदेश/टेण्डर को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय निरस्त/स्थगित/परिवर्तन/पुनः आमंत्रण किया जा सकता है। निविदा की तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। निविदा की नियम व शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है। निविदा में प्रक्रिया, नियम, शर्तों एवं सफल निविदादाता के चयन का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय समिति को होगा। क्षेत्रीय समिति बिना कारण बताये किसी भी समय निविदा की नियम व शर्तों में परिवर्तन कर सकती है। समस्त निविदादाताओं एवं समस्त पक्षों को परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ का निर्णय मान्य व बाध्यकारी होगा।

सेवा प्रबन्धक  
बरेली।

प्रतिलिपि-प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- क्षेत्रीय प्रबन्धक उ०प्र० परिवहन निगम बरेली।
- 2- सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त) उ०प्र० परिवहन निगम बरेली को इस निर्देश के साथ कि अपने स्तर से प्रस्ताव फार्म की धनराशि रू० 236/- जमा करने के संबंध में निर्देशित करना सुनिश्चित करे।
- 3- सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम बरेली/रुहेलखण्ड/बदायूँ/पीलीभीत डिपो को पर्याप्त प्रचार प्रसार हेतु।
- 4- सीनियर फोरमैन उ०प्र० परिवहन निगम क्षेत्रीय कार्यशाला/बरेली/रुहेलखण्ड/बदायूँ/पीलीभीत।
- 5- नोटिस बोर्ड क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय बरेली/बरेली डिपो/रुहेलखण्ड डिपो/बदायूँ डिपो/पीलीभीत डिपो/क्षेत्रीय कार्यशाला बरेली।

सेवा प्रबन्धक  
बरेली।